

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-10-2017	<p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-3-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-3-17 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 4-9-17 को अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपने आदेश दिनांक 3-3-17 की प्रति आवेदक को भेजी गई है । इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा भी दिनांक 14-3-17 को गारंटी आहरण करते हुये राशि जमा करा दी गई है । अतः स्पष्ट है कि दिनांक 14-3-17 को आवेदक को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश की जानकारी हो गई थी । अतः यदि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के इस कथन को मान भी लिया जाये कि बैंक द्वारा गारंटी के आहरण से उसे जानकारी हुई, तब भी यह निगरानी अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है । अतः प्रथमदृष्ट्या विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं होने से निगरानी अवधि बाह्य मानकर अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>